सं क्यू/एक्सएमएम/551/07/2017

विदेश मंत्रालय

लोक राजनय प्रभाग

(एक्सएमएम खंड)

दिनांक: दिसंबर 04, 2019

<u>द्वितीय शुद्धिपत्र</u>

विषय: विदेश मंत्रालय के लिए अनुवाद एवं प्रतिलेखन सेवाओं की निविदा में संशोधन (निविदा सन्दर्भ संख्या क्यू/एक्सएमएम/551/07/2017, निविदा 2019_एमईए_520208_1 दिनांक नवम्बर 20, 2019)

विदेश मंत्रालय की ओएम सं एफ.20/2/2014/-पीपीडी(पीटी) दिनांक 25.07.2017 एवं सं एफ.20/2/2014/-पीपीडी(पीटी) दिनांक 20.09.2016 के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में स्टार्टअप के लिए छूट पर निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित संशोधन समाविष्ट किए जा रहे हैं:

i. उक्त निविदा के लिए आवेदन करने वाले प्रमाणित स्टार्टअप को बयाना रकम जमा करने से छूट दी जाती है।

ii. उक्त निविदा के लिए आवेदन करने वाले प्रमाणित स्टार्टअप को विहित 'न्यूनतम टर्नओवर' और 'न्यूनतम अनुभव' के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड से छूट दी जाती है। निम्न अंकन मानदंड के आधार पर उनका तकनीकी मूल्यांकन होगा:

   क) अनुवादित नमूने की गुणवत्ता [एजेंसी से अपेक्षा है कि वो भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली शब्दावली से सुपरिचित हों और उनके सही उपयोग का अनुभव रखते हों]: 45 अंक

   ख) ऑनलाइन अनुवाद एवं प्रतिलेखन परीक्षा: नमूना अनुवाद करने की गति [अनुवाद के लिए कोई न्यूनतम गति की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, तेज गति से अनुवाद करने की क्षमता अधिमान्य है और तदनुसार मूल्यांकित किया जाएगा। अनुवाद करने की गति का विश्लेषण बोलीदाताओं के मध्य आपेक्षित होगा]: 20 अंक

   प्राप्त अंकों को अधिकतम संभव 100 अंक तक समानुपातिक रूप से प्रवर्धित किया जाएगा।

2. ऊपर उल्लिखित छूट केवल उन स्टार्टअप के लिए लागू होंगे जिन्हें संशोधित नियमों के अनुसार उद्योग वर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

170(i) इसलिए ये सलाह दी जाती है कि विभाग का प्रमाणपत्र जिसमें बोलीदाता को स्टार्टअप के रूप में पहचाना गया है पंजीकरण दस्तावेजों के साथ अपलोड किए जाए।

3. अनुच्छेद बी(4) को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा: “एजेंसी का ***औसत वार्षिक टर्नओवर*** पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम 20 लाख होना चाहिए - एजेंसी को इस प्रभाव में अपने लेखा-परीक्षक से एक प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के टर्नओवर का आंकड़ा भी तुलन-पत्र पर स्पष्ट अंकित करें। केवल सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष (आंशिक नहीं) का टर्नओवर आंकड़ा ही स्वीकार्य होगा।”

4. अनुच्छेद डी(3) के अधीन औसत वार्षिक टर्नओवर के लिए अंकन योजना को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में एजेंसी का औसत टर्नओवर	अधिकतम 5 अंक [= 20 लाख = 1 अंक 20 <= 30 लाख = 2 अंक 30 <= 40 लाख = 3 अंक 40 <= 50 लाख = 4 अंक >= 50 लाख = 5 अंक]

5. कार्य क्षेत्र का अनुच्छेद ए(II) अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई ऑडियो/विडियो क्लिप्स से व्याखानों, वक्तव्यों या किसी अन्य सामग्री का हिंदी और अंग्रेजी में प्रतिलेखन 100% सटीक होना चाहिए। प्रतिलेखन दो चरणों में होना है:

चरण 1 - ***एक प्रारंभिक प्रालेख का संकलन (तेजी से प्रतिलेखन के लिए, एजेंसी सब्सक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग करें)***

चरण 2 - एजेंसी के अपने एक विशेषज्ञ के माध्यम से प्रूफ रीडिंग करवाना है।”

6. अन्य शर्तों का अनुच्छेद X(e) अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“***यह वांछनीय है कि*** एजेंसी के विशेषज्ञ को प्रासंगिक भाषा में, या प्रासंगिक भाषा में अनुवाद के लिए किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/राज्यीय विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो, या केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (एमएचए) से ग्रेड ए के साथ अनुवाद कोर्स पूर्ण किया हो, या भारत सरकार/

राज्य सरकार या भारत के प्रतिष्ठित संगठनों या कंपनियों के साथ एक अनुवादक के रूप में कार्य का अनुभव हो।"

7. वित्तीय राउंड का अनुच्छेद ई(4) अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"बोलियों के मूल्यांकन के बाद, निम्नतम वित्तीय बोली (एल1 - ***बोलीदाताओं द्वारा उद्घृत तीनों दरों के औसत पर आधारित निम्नतम बोली***) चुनी जाएगी।"

8. निविदा के संबंध में बोली जमा करने की आखरी तिथि और तकनीकी बोली खोलने की तिथि निम्नानुसार विस्तृत की गई है:

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	**17.12.2019 (दोपहर 3:00 बजे)**
तकनीकी बोली खुलने की तिथि	**18.12.2019 (दोपहर 3:00 बजे)**

(पवनकुमार बढ़े)

ओएसडी (प्रेस रिलेशन)

एक्सपीडी प्रभाग

विदेश मंत्रालय, शास्त्री भवन